भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2037
11 दिसंबर, 2025 को उत्तर देने के लिए

बागपत में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां

2037. डॉ. राजकुमार सांगवानः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर प्रदेश के बागपत लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की वर्तमान स्थिति क्या है और इस क्षेत्र में कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर स्थापित करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं;

(ख) उत्तर प्रदेश को आवंटित धनराशि और केंद्र सरकार द्वारा स्थानीय किसानों, विशेषकर गन्ना, आलू उत्पादन और बागवानी से जुड़े किसानों को मूल्य संवर्धन हेतु शीतागार श्रृंखला और प्राथमिक प्रसंस्करण सुविधाएँ प्रदान करने में खर्च की गई निधियों का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने बागपत सहित उत्तर प्रदेश में किसान उत्पादक संगठनों को प्रसंस्करण संबंधी अवसंरचना प्रदान करने हेतु कोई विशेष प्रोत्साहन योजना आरंभ की है, यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में उसका जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी दो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं, नामत: प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित अवसंरचना की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है। एमओएफपीआई प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना भी कार्यान्वित्त कर रहा है।

पीएमकेएसवाई योजना के अंतर्गत, मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश राज्य में 1906 करोड़ रुपये के कुल परियोजना लागत एवं 456 करोड़ रुपये की अनुमोदित अनुदान सहायता के साथ 99 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं/इकाइयों को अनुमोदित किया है। बागपत संसदीय क्षेत्र में किसी भी खाद्य प्रसंस्करण परियोजना/इकाई को अनुमोदित नहीं किया गया है।

पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत, मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश राज्य में 1133.60 करोड़ रुपये की कुल प्रतिबद्ध निवेश के साथ 27 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं/इकाइयों को अनुमोदित किया गया है। बागपत संसदीय क्षेत्र में किसी भी खाद्य प्रसंस्करण परियोजना/इकाई को अनुमोदित नहीं किया गया है।

पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश राज्य में क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के लिए कुल 20,603 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को अनुमोदित किया गया है। इसमें से 62 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को बागपत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अनुमोदित किया गया है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) वर्ष 2017 से देश में क्लस्टर दृष्टिकोण के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए आधुनिक अवसंरचना के विकास के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) की एक घटक योजना कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (एपीसी) के लिए अवसंरचना सृजन योजना कार्यान्वित्त कर रहा है। मंत्रालय स्वयं कोई कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर स्थापित नहीं करता है। एपीसी योजना मांग आधारित योजना है। इस योजना के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी की गई अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओएल) के लिए संभावित निवेशकों/उद्यमियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अब तक उत्तर प्रदेश के बागपत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एपीसी योजना के अंतर्गत कोई अनुमोदित परियोजना नहीं है।

(ख): प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निधियों का आवंटन नहीं किया गया है। प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत, दिनांक 31.10.2025 तक, मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश राज्य को योजना के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए 510.97 करोड़ रुपये की निधि का केंद्रीय हिस्सा जारी कर दिया है।

(ग): उत्तर प्रदेश में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को प्रसंस्करण अवसंरचना प्रदान करने के लिए मंत्रालय द्वारा कोई विशेष प्रोत्साहन योजना कार्यान्वित्त नहीं की जा रही है। तथापि, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) पीएमकेएसवाई, पीएलआईएसएफपीआई और पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र संस्थाओं में हैं।

******